EAST CENTRAL RAILWAY **पूर्व मध्य रेल** EAST CENTRAL RAILWAY

RBE No.------------

PCPO's Sl.No.107/2019

No. E/171/O/ECR/HJP Dated:- 18.06.2019

1. CAO (Con.)/ उत्तर एवं दक्षिण / पटना।
2. सभी PHOD/CHOD, पू.म.रे, हाजीपुर।
3. DRM/ पूमरे / मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी / प्रशासन / पू.म.रे / हाजीपुर।
5. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
6. CWM/ पीडी / मुगलसराय, यांत्रिक कारखाना / समस्तीपुर / हरनौत।
7. Sr.DPO/ पूमरे / मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
8. उप महाप्रबंधक / विधि / पटना।
9. प्राचार्य / क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान / मुजफ्फरपुर एवं भूली।
10. सभी मुकार्याधी / कार्याधी / पू.म.रे / हाजीपुर।

विषय : रेलवे में कार्यरत पैरा मेडिकल स्टाफ के कर्तव्यों तथा जिम्मेदारियों को शामिल करना।

संदर्भ : Railway's Boards Lt. No. 2014 / एच–1 / 10 / 18 / पैरा मेडिकल स्टाफ Dated: 22.03.2019

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं अग्रेत्तर आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित की जा रही है।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded herewith for information guidance and needful onward action please.

संलग्नक : यथोपरि।

DA : As above.

(सौरभ सावण) 18/6/19
वकाधि / ई.एस.एम
कृते महाप्रबंधक (कार्मिक) / हाजीपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित :–

1. महासचिव / ईसीआरकेयू / पू.म.रे. / हाजीपुर।
2. महासचिव / एस0.सी0. / एस0.टी0. / एशोसिएशन / पू.म.रे. / हाजीपुर।
3. सकाधि (एम.पी.पी.),पू.म.रे / हाजीपुर। कृपया इसे नेट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।
4. महासचिव / ओ.बी.सी.एशोसिएशन / पू.म.रे. / हाजीपुर।

क्र.सं. -2 स्वास्थ्य

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

C68039
08 MAY 2019

सं. 2014/एच-1/10/18/पैरा मेडिकल स्टाफ नई दिल्ली, दिनांक 22.03.20

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें तथा
उत्पादन इकाइयां.

(अनुशेष)

विषय : रेलवे में कार्यरत पैरा मेडिकल स्टाफ के कर्तव्यों तथा जिम्मेदारियों को शामिल करन

संदर्भ : बोर्ड का दिनांक 15.10.2015 का समसंख्यक पत्र

बोर्ड के उपरोक्त पत्र के संदर्भ में, यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय रेल चिकित नियमावली-2000 के पैरा 203 में रेलवे में कार्यरत कृत्रिम अंग स्टाफ के कर्तव्यों तथा जिम्मेदारि को शामिल किया जाए.

तदनुसार, भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली-2000 के पैरा 203 में संशोधन करने के लि अग्रिम शुद्धि पर्ची (क्र.सं. 02 स्वास्थ्य 2019) परिशिष्ट के रूप में संलग्न है.

(श्रीमती एच.के. सनहोः
संयुक्त निदेशक-II/स्वास्थ
रेलवे ब

सं. 2014/एच-1/10/18/पैरा मेडिकल स्टाफ नई दिल्ली, दिनांक 22.03.201

प्रति :

1. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां
2. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां
3. प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक/अधिकारी, सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां
4. प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां
5. भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक(रेलें), कमरा सं. 222, रेल भवन, नई दिल्ली.

क्र. सं. - 02 स्वास्थ्य 2019

भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली - 2000 के पैरा 203 के लिए अग्रिम शुद्धि पर्ची

रेलवे में कार्यरत कृत्रिम अंग स्टाफ के ड्यूटी एवं उत्तरदायित्व निम्नानुसार है:

प्रबंधक एवं वरिष्ठ प्रोस्थेटिस्ट/ऑर्थोटिस्ट:

1. अपने तकनीकी कार्य अर्थात् क्लीनिकल मूल्यांकन, मरीजों का आंकलन, एएलसी प्रभारी आर्थोपेडिक सर्जन से परामर्श करके आर्थोपेडिक यंत्रों की पर्ची तैयार करने के अतिरिक्त एएलसी विभाग, तकनीकी कर्मचारी (प्रोस्थेटिस्ट एवं ऑर्थोटिस्ट) और एएलसी के तकनीकी कार्य का पर्यवेक्षण करेगा.
2. एएलसी के अन्य कार्यरत कर्मचारी और केंद्र के सामान्य प्रशासन का पर्यवेक्षण करेगा.
3. केबिन/वार्डों का आंकलन और मूल्यांकन करने एवं ऑर्थोपेडिक्ली तथा न्यूरोलॉजीक्ली दुर्बल एवं विकलांग मरीजों को लगाए जाने वाले यंत्र एवं उपकरण लगाने के लिए दौरा करेगा .
4. ऑर्थोपेडिक्ली दुर्बल एवं विकलांग मरीजों के उचित फिटमेंट और बायोमैकेनिकल तथ्यों के आधार पर डिस्चार्ज करेगा.
5. ऑर्थोटिक और प्रोस्थेटिक सेक्शन के सभी मामलों, घटकों एवं सामग्री की खरीद, गुणवत्ता नियंत्रण और प्रगति रिपोर्ट बनाने के रिकार्डों का रखरखाव करेगा.
6. अन्य कोई ड्यूटी, जो ऊपर विनिर्दिष्ट नहीं की गई हो, और वरिष्ठ डीएमओ/एसीएचडी(ऑर्थो.)(आई/सी)/एएलसी, अन्य वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सौंपी गई हो, उसके द्वारा की जाएगी.

वरिष्ठ प्रोस्थेटिस्ट/ऑर्थोटिस्ट:

1. अपने तकनीकी कार्य अर्थात् क्लीनिकल मूल्यांकन एवं मरीजों के आंकलन के अतिरिक्त एएलसी विभाग और तकनीकी कार्य का पर्यवेक्षण करेगा.
2. ऑर्थोटिक एवं प्रोस्थेटिक मदों के सभी बही-खातों और भंडार का रखरखाव करेगा तथा बही में उनकी प्रविष्टि करेगा और प्रबंधक एवं प्रोस्थेटिस्ट/ऑर्थोटिस्ट से परामर्श करके समय पर मांग पत्र देगा ताकि मदों की आपूर्ति कम न हो.

3. सभी प्रोस्थेटिक और ऑर्थोटिक मरीजों का माप लेगा तथा सभी प्रकार के प्रोस्थेसिस एवं ऑर्थोसिस को पूरा करेगा, प्रोस्थेटिस्ट/ऑर्थोटिस्ट, कनिष्ठ प्रोस्थेटिस्ट और ऑर्थोटिस्ट एवं लेदर टेक्नीशियन की सहायता से मरीजों पर परीक्षण करेगा एवं सुपुर्दगी करेगा.
4. ऑर्थोपेडिक्ली तथा न्यूरोलॉजीक्ली दुर्बल एवं विकलांग मरीजों के लिए प्रबंधक (पीएंडओ) के साथ यंत्रों और उपकरणों के माप और फिटमेंट के लिए केबिन/वार्डों का दौरा करेगा.
5. प्रबंधक (पीएंडओ) की अनुपस्थिति के दौरान उनका कार्य देखेगा.
6. ऑर्थोटिक और प्रोस्थेटिक सेक्शन के सभी मामलों के रिकार्ड रखेगा. सामग्री की खरीद और प्रगति रिपोर्ट तैयार करेगा.
7. प्रबंधक एवं प्रोस्थेटिस्ट/ऑर्थोटिस्ट की अनुपस्थिति में वर्कशाप कॉम्प्लेक्स की सफाई का पर्यवेक्षण करेगा. अपने तकनीकी कार्य अर्थात् क्लीनिकल मूल्यांकन एवं मरीजों के आंकलन के अतिरिक्त एएलसी विभाग और तकनीकी कार्य का पर्यवेक्षण करेगा.
8. तकनीकी कार्य पूरा करने के लिए प्रोस्थेटिस्ट/ऑर्थोटिस्ट/कनिष्ठ प्रोस्थेटिस्ट/ऑर्थोटिस्ट का मार्गदर्शन करेगा.
9. ऑर्थोपेडिक सर्जन एवं एएलसी प्रभारी से परामर्श करके प्रोस्थेसिस और ऑर्थोसिस की पर्ची लिखेगा.
10. अन्य कोई ड्यूटी, जो ऊपर विनिर्दिष्ट नहीं की गई हो, और वरिष्ठ डीएमओ/एसीएचडी(ऑर्थो.)(आई/सी)/एएलसी, अन्य वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सौंपी गई हो, उसके द्वारा की जाएगी.

प्रोस्थेटिस्ट/ऑर्थोटिस्टः

1. सभी प्रोस्थेटिक और ऑर्थोटिक मरीजों का माप लेगा तथा सभी प्रकार के प्रोस्थेसिस एवं ऑर्थोसिस को पूरा करेगा, प्रोस्थेटिस्ट/ऑर्थोटिस्ट, कनिष्ठ प्रोस्थेटिस्ट और ऑर्थोटिस्ट एवं लेदर टेक्नीशियन की सहायता से मरीजों पर परीक्षण करेगा एवं उनकी सुपुर्दगी करेगा.
2. ऑर्थोपेडिक्ली तथा न्यूरोलॉजीक्ली दुर्बल एवं विकलांग मरीजों के लिए प्रबंधक (पीएंडओ) के साथ यंत्रों और उपकरणों के माप और फिटमेंट के लिए केबिन/वार्डों का दौरा करेगा.
3. प्रबंधक एवं प्रोस्थेटिस्ट/ऑर्थोटिस्ट/वरिष्ठ प्रोस्थेटिस्ट/ऑर्थोटिस्ट की अनुपस्थिति में वर्कशाप कॉम्प्लेक्स की सफाई का पर्यवेक्षण करेगा.

4. प्रोस्थेटिक एवं ऑर्थोटिक मदों के सभी बही-खातों और भंडार का रखरखाव करेगा एवं वरिष्ठ प्रोस्थेटिस्ट/ऑर्थोटिस्ट की अनुपस्थिति में बही में उनकी प्रविष्टि करेगा.

5. अन्य कोई ड्यूटी, जो ऊपर विनिर्दिष्ट नहीं की गई हो, और वरिष्ठ डीएमओ/एसीएचडी(ऑर्थो.)(आई/सी)/एएलसी अन्य वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सौंपी गई हो, उसके द्वारा की जाएगी.

लेदर टेक्नीशियनः

1. सभी प्रकार के लेदर संबंधी कार्य, कैलिपर भरना/प्रोस्थेसिस की देखरेख करेगा.
2. मरीजों का माप लेकर सर्जिकल जूते/प्रोस्थेटिक/ऑर्थोटिक बेल्ट बनाएगा.
3. मरीजों का पंजीकरण करेगा. मरीजों के लिए लेदर/केनवास/रेक्सिन की ऑर्थोपेडिक यंत्रों के रूप में सिलाई करेगा.
4. अन्य कोई ड्यूटी, जो ऊपर विनिर्दिष्ट नहीं की गई हो, और वरिष्ठ डीएमओ/एसीएचडी(ऑर्थो.)(आई/सी)/एएलसी अन्य वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सौंपी गई हो, उसके द्वारा की जाएगी.

कनिष्ठ टेक्नीशियन (फिटर)/कनिष्ठ प्रोस्थेटिस्ट और ऑर्थोटिस्टः

1. उपस्कर, मशीनरी और सामग्रियों को उचित हालात में रखने पर पूरा ध्यान रखेगा.
2. माप लेने और प्रोस्थेसिस एवं ऑर्थोसिस करने में प्रोस्थेटिस्ट एवं ऑर्थोटिस्ट और लेदर टेक्नीशियन के कार्य में मदद करेगा.
3. अन्य कोई ड्यूटी, जो ऊपर विनिर्दिष्ट नहीं किया हो, और वरिष्ठ डीएमओ/एसीएचडी(ऑर्थो.)(आई/सी)/एएलसी अन्य वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सौंपी गई हो, उसके द्वारा की जाएगी.

एएलसी परिचर/हेल्परः

1. फर्नीचर, दरवाजे, फिटिंग्स, वेंटिलेटर, औज़ारों एवं मशीनरी को साफ एवं सुव्यवस्थित रखेगा.
2. एएलसी मरीजों की व्हीलचेयर पर बैठने, खड़े होने और प्रशिक्षण क्षेत्रों में सहायता करेगा.
3. विकलांग मरीजों के माप के लिए औज़ारों, उपस्कर और आवश्यक सामग्रियों से कास्टिंग और माप टेबल बनाना.

4. अस्पताल में मरीजों को स्ट्रेचर पर और एएलसी से अस्पताल एवं अस्पताल से एएलसी ले जाना.

5. मरीज की इलाज प्रक्रिया में प्रबंधक/प्रोस्थेटिस्ट एवं ऑर्थोटिस्ट की सहायता करेगा.

6. विभिन्न कार्यालयों में फाइल तथा पत्र ले जाने के कार्यालय कार्य में सहायता करेगा.

7. अन्य कोई ड्यूटी, जो ऊपर विनिर्दिष्ट नहीं किया हो, और वरिष्ठ डीएमओ/एसीएचडी(ऑर्थो.)(आई/सी)/एएलसी , किसी अन्य वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सौंपी गई हो, उसके द्वारा की जाएगी.

एएलसी क्लीनर (सफाईवाला):

1. एएलसी की सड़कें, ग्राउंड, फर्श आदि की सफाई करेगा.
2. विभाग के फर्श, वर्कशाप क्षेत्र एवं कास्टिंग और माप कक्षों की नियमित सफाई करेगा. एएलसी स्टोर साफ करेगा. गंदे कपड़े धोएगा.
3. अन्य कोई ड्यूटी, जो ऊपर विनिर्दिष्ट नहीं की गई हो, और वरिष्ठ डीएमओ/एसीएचडी(ऑर्थो.)(आई/सी)/एएलसी, किसी अन्य वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सौंपी गई हो, उसके द्वारा की जाएगी.

(प्राधिकारः 2014/एच-1/10/18/पैरा मेडिकल स्टाफ दिनांक 22.03.2019)